न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 279/2018/225 आरटीए

1. चन्द्रपति पत्नि स्व. औंकारसिंह जाति जाट निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मुकेशकुमार पुत्र स्व. औंकारसिंह जाति जाट निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. राजेन्द्रकुमार पुत्र स्व. औंकारसिंह जाति जाट निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. लाभसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मिठूसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति जटसिख निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. बहादरसिंह पुत्र फौजासिंह जाति जटसिख निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. बलकरण सिंह पुत्र शमशेरसिंह जाति जटसिख निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. चिमनाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
8. नायबतहसीलदार उपतहसील तलवाडा झील।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्र0 सं0 23/16 अनवानी लाभसिंह बनाम तहसीलदार

श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री वतनदीपसिंह मान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांक –24.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण चक 650 आरडी के काश्तकार है व अपनी कृषि कार्यो को करने के लिए प.न. 225/309 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व प. न. 225/310 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व प.न. 225/311 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 से आवागमन करते है परन्तु मौका पर अप्रार्थीगण काश्तकारो ने इस मंजूरशुदा रास्ता को

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

बंद करने की मंशा जाहिर की है जिससे कि प्रार्थीगण को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसमे कई काश्तकार सहमत भी है। प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रेस्पो0 सं. 7 व 8 द्वारा आवश्यक रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट लेने पर दिनांक 05.08.2016 को इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए फर्द अहकाम मुर्तिब की गई व आगामी पेशी पर पुनः रिपोर्ट तलब कर पत्रावली दिनांक 16.08.16 को पेश होने का उल्लेख किया। दिनांक 16.08.2016 को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यहां से रास्ता स्वीकृत किया जाना है उन पक्षकारो की सूची पेश करने के लिए आदेशित किया गया। तत्पश्चात आगामी पेशी 19.08.2016 को इस संबंध मे कोई कार्यवाही नही करते हुए प्रार्थी लाभसिंह का शपथ पत्र लेकर इस पत्रावली को दिनांक 07.09.2016 को निर्णित कर दिया व खाला के स्थान पर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये व फर्द अहकाम मे अपीलाधीन प्रकरण का अनवान लाभसिंह बनाम चन्द्रपति आदि दर्ज करते हुए अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही इसे उसी रूप मे प्रयोग करते हुए आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत बिना कोई जांच किये बिना प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया व एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी जांच होने पर इन मुरब्बो मे जो काश्तकार है उनको पक्षकार बनाने के संबंध मे भी सूची पेश करने हेतु आदेशित किया होने के बावजूद भी संबंधित को पक्षकार नही बनाया व रेस्पो0 सं. 3 से 6 को किस आधार पर पक्षकार बनाया इस संबंध मे भी किसी प्रकार का पत्रावली मे अंकन नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अन्य हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नही बनाकर महज जल्दबाजी मे ही मौके पर चल रहे खाला जिस पर कि अपीलांट व अन्य सिंचाई सुविधा प्रदत्त की हुई है, को कतई अनदेखा करते हुए आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका पर चल रहे खाला जिस पर पानी की बारिया भी बंधी हुई है, की स्थिति मे बिना किसी अधिकार के परिवर्तन करके उसे गैरमुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिये है जबकि

Web Copy - Not Official

खाला की स्थिति मे परिवर्तन करने की कोई अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है। इस संबंध मे सैटलमेंट विभाग द्वारा कोई प्रविष्टि की गई है तो उसके संबंध मे रेस्पो0 को अन्य वैकल्पिक व समान्तर उपचार अपील के रूप मे उस आदेश को चुनौती देने का था। धारा 8(2) राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तो के तहत यह रास्ता स्वीकृत करने की कोई अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही थी।वर्तमान मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत रास्ता स्वीकृत करने के संबंध मे उपचार रेस्पो0 सं. 1 ता 6 को प्राप्त था लेकिन उन्होने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के हित सारवान रूप से प्रभावित हो रहे है खाला के स्थान पर रास्ता बन जाने से अपीलांट को सिंचाई सुविधा प्राप्त नही होगी जिससे उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण अपील अपीलांट बतौर तृतीय पक्षकार के रूप मे प्रस्तुत कर रहे है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 08.11.2016 को पटवारी हल्का व आगे के काश्तकारान से हो पाई जिनके द्वारा मौका पर चल रहे धारी खाला को हटाकर उसके स्थान पर रास्ता बनाने की कार्यवाही व इस संबंध मे आदेश होना बतलाया गया तब अविलम्ब ही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 09.11.16 को अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व अन्य की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 4 एसएलडब्ल्यू के प.न. 225/309, 225/310, 225/311 प्रत्येक मुरब्बा मे कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे आवागमन हेतु मंजूरशुदा रास्ता को खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जल संसाधन विभाग मे प.न. 225/309 चक 650 आरडी मे तथा प.न. 225/310 व 225/311 चक 4 बीआरडब्ल्यू मे है। जल संसाधन विभाग के रिकार्ड व चक प्लान अनुसार उपरोक्त तीनो पत्थरो के किला नम्बरो मे जल मार्ग/ खाला स्वीकृत नही है। सैटलमेंट से पूर्व भाखड़ा की पर्चा खतौनी व जमाबंदी मे प.न. 225/309, 225/310, 225/311 प्रत्येक मे किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता मंजूर था परन्तु सैटलमेंट विभाग ने रास्ता की जगह खाला दर्ज कर दिया। सैटलमेंट विभाग को रास्ता के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे खाला दर्ज करने की कोई अधिकारिता नही थी। प.न. 226/311, 226/312, 225/312 के काश्तकारो रेस्पो0 सं. 1 व अन्य की कृषि भूमि

के लिए इस स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन के लिए नही है। प.न. 225/310, 225/311 पर पानी की बारी किसी भी काश्तकार की बंधी हुई नही है। पानी की बारी का विवरण संलग्न है। अपीलांट द्वारा दर्शित किया गया खाला उनकी घरेलू आड है न कि सिंचाई विभाग का स्वीकृत जल मार्ग/खाला। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हल्का पटवारी, जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट, सैटलमेंट से पूर्व भाखडा की पर्चा खतौनी और जमाबंदी के आधार पर यह साबित माना है कि प.न. 225/309, 225/310, 225/311 प्रत्येक मे कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे स्वीकृतशुदा रास्ता अंकित था जिसे बिना अधिकारिता के सैटलमेंट के समय रास्ता के स्थान पर खाला अंकित कर दिया गया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अन्य को पक्षकार न बनाते हुए धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार विधि पूर्व जमाबंदी मे संशोधन करते हुए पूर्व मे ही तीनो पत्थर नम्बर के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता स्वीकृत होना मानकर राजस्व रिकार्ड मे खाला के स्थान पर रास्ता का अंकन किये जाने का आदेश पारित किया है। मौका पर उक्त प्रश्नगत रास्ता चालू है। अपीलांटस किसी प्रकार से प्रभावित व सारवान पक्षकार नही है बिना किसी आधार पर अपील प्रस्तुत की है। जो मियाद बाहर भी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व अन्य की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 4 एसएलडब्ल्यू के प.न. 225/309, 225/310, 225/311 प्रत्येक मुरब्बा मे कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे आवागमन हेतु मंजूरशुदा रास्ता को खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार हल्का पटवारी, जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट, सैटलमेंट से पूर्व भाखडा की पर्चा खतौनी और जमाबंदी के आधार पर यह आदेश पारित किया गया है कि ''चक 4 एसएलडब्ल्यू हाल चक 650 आरडी प.न. 225/309, 225/310, 225/311 प्रत्येक मुरब्बा मे कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे गैरमुमकिन खाला दर्ज है, के स्थान पर सैटलमेंट विभाग से पूर्व दर्ज रास्ता बहाल किया जाता है। राजस्व रिकार्ड मे सैटलमेंट से पूर्व रास्ता दर्ज था, को पुनः दर्ज किया जावे।'' संलग्न दस्तावेजात से यह साबित होता है कि जल संसाधन विभाग के रिकार्ड व चक प्लान अनुसार उपरोक्त तीनो पत्थरो के किला नम्बरो मे जल मार्ग/ खाला स्वीकृत नही है। सैटलमेंट से पूर्व भाखड़ा की पर्चा

Web Copy - Not Official

खतौनी व जमाबंदी मे प.न. 225/309, 225/310, 225/311 प्रत्येक मे किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता मंजूर था परन्तु सैटलमेंट विभाग ने रास्ता की जगह खाला दर्ज कर दिया। सैटलमेंट विभाग को रास्ता के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे खाला दर्ज करने की कोई अधिकारिता नही थी। प.न. 226/311, 226/312, 225/312 के काश्तकारो रेस्पो0 सं. 1 व अन्य की कृषि भूमि के लिए इस स्वीकृतशुदा रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन के लिए नही है। प.न. 225/310, 225/311 पर पानी की बारी किसी भी काश्तकार की बंधी हुई नही है। उक्त रास्ता के स्थान पर दर्ज खाला पर किसी भी प्रकार की पानी की बारी का विवरण नही है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट की भूमि मे कोई नया रास्ता स्वीकृत किया है तथा न ही अपीलांट की भूमि मे या अपीलांट की भूमि मे आवागमन करने हेतु कोई भी मंजूरशुदा खाला/जलमार्ग निरस्त किया गया। बल्कि चक 650 आरडी प.न. 225/309, 225/310, 225/311 प्रत्येक मुरब्बा मे कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे गैरमुमकिन खाला दर्ज है, के स्थान पर सैटलमेंट विभाग से पूर्व दर्ज रास्ता बहाल किया गया जाकर राजस्व रिकार्ड मे सैटलमेंट से पूर्व रास्ता दर्ज था, को पुनः दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। इसलिए प्रश्नगत स्वीकृत किये गये रास्ता से अपीलांट पीड़ित पक्षकार नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.09.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official